



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2015/चैत्र 10, 1937

No. 190]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2015/CHAITRA 10, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सा.का.नि. 241(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में, -
 - (1) नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) में, -
 - (क) उपखंड (vii) के स्पष्टीकरण (क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन जबतक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी कंपनी द्वारा 01 अप्रैल, 2014 से पूर्व किसी शेयर, स्टॉक, बांड या प्रतिभूति के अंशदान द्वारा प्राप्त और 31 मार्च, 2014 को या उसके पूर्व समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र में प्रकट की गई किसी राशि, जिसके लिए आवंटन 31 मार्च, 2015 को लंबित हो, के मामले में कोई शेयर, स्टॉक, बांड या प्रतिभूति निर्धारित अवधि में आवंटित करने के लिए कंपनी, 01 जून, 2015 तक या तो उन व्यक्तियों को ऐसी राशि वापस करेगी जिनसे यह प्राप्त की गई थी या शेयर, स्टॉक, बांड या प्रतिभूति आवंटित करेगी या इन नियमों का अनुपालन करेगी।”

(ख) उपखंड (xii) के मद (ख) में -

(अ) "सम्पत्ति के प्रतिफल" शब्दों के स्थान पर "स्थावर संपत्ति के प्रतिफल" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "संपत्ति के प्रति" शब्दों के स्थान पर "ऐसी संपत्ति के प्रति" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपखंड (xii) के स्पष्टीकरण में "प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर "परंतुक में निर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(2) नियम 3 में उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) प्रत्येक पात्र कंपनी, वर्ष में कम-से-कम एक बार उसके द्वारा स्वीकार की गई जमा के लिए क्रेडिट रेटिंग नीचे विनिर्दिष्ट रीति में प्राप्त करेगी और उस रेटिंग की एक प्रति प्ररूप डीपीटी-3 में जमा की विवरणी के साथ कंपनी रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगी;

अभिकरण का नाम	न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग
(क) द क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड	एफए - (एफए मायनस)
(ख) आईसीआरए लिमिटेड	एमए - (एमए मायनस)
(ग) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड	सीएआरई बीबीबी(एफडी)
(घ) फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	टीए-(इंड) (एफडी)
(ड.) ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बीडब्ल्यूआर एफ ए
(च) एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड	एसएमईआरए ए"

(3) नियम 5 के उपनियम (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कंपनियां 31 मार्च, 2016 तक या किसी जमा बीमा उत्पाद की उपलब्धता तक, जो भी पूर्वतर हो, बिना जमा बीमा संविदा के जमा स्वीकार कर सकेगी।"

(4) उपाबंध में, प्ररूप "डीपीटी-3" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप डीपीटी 3	
जमा की विवरणी	
[कंपनी नियम (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 16 के अनुसरण में]	
1.	(क) सीआईएन: (ख) जीएलएन:
2.	(क) कंपनी का नाम: (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता: (ग) ई-मेल:
3.	कंपनी की किस्म पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी

4. क्या कंपनी सरकारी कंपनी है:
- हां
नहीं
5. कंपनी के उद्देश्य:
6. (क) विज्ञापन या परिपत्र जारी करने की तारीख:
(ख) लेखों समापन की पिछली तारीख:
(ग) विज्ञापन या परिपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीख:
7. रिटर्न की तिथि से पूर्व पिछले लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शुद्ध मूल्य-
- (क) (i) संदत्त शेयर पूंजी
(ii) मुक्त आरक्षित
(ख) (i) संचित हानि
(ii) आस्थगित राजस्व व्यय का शेष
(iii) संचित अनुपलब्धता अवमूल्यन
(iv) विविध व्यय और प्रारंभिक व्यय
(v) अन्य अमूर्त आस्तियां
(ग) शुद्ध मूल्य (क-ख)
(घ) जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् सरकारी कंपनी के मामलों में उपर्युक्त का 35% या अन्यो के मामले में 25%)
8. जमा के विवरण (शेयरधारकों और अन्यो से प्राप्त जमा के संबंध में अलग-अलग दिए जाने हैं)
- (क) 1 अप्रैल को वर्तमान जमा की रकम
(ख) वर्ष के दौरान स्वीकृत या नवीकरण की गई जमा की रकम
(i) प्रतिभूति जमा
(ii) प्रतिभूति रहित जमा
(ग) वर्ष के दौरान पुनः सद्त जमा की रकम
(घ) वर्ष के अंत में बकाया जमा का शेष (क+ख-ग)
9. बकाया जमा का विवरण:-

विशिष्टियां	जमा प्राप्ति की तारीख	ब्याज दरके पश्चात् पुनः संदाय किया जाना है

10. (क) जमा की रकम जो देय हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया गया है:

(ख) जमा की रकम जो देय हो गई है और दावा की गई लेकिन जिसका संदाय नहीं किया गया है:

11. नकद आस्तियों के विवरण

(क) अगले वर्ष और उसके अगले वर्ष 31 मार्च से पहले देय होने वाली जमा की रकम:

(ख) नकद आस्तियों में निवेश के लिए अपेक्षित रकम:

(ग) नकद आस्तियों के विवरण:

	निवेश/जमा की तारीख	रकम
(क) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या अधिकार मुक्त चालू या अन्य जमा खाते में रकम		
(ख) केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रभार मुक्त प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष मूल्य बाजार मूल्य		
(ग) प्रभार मुक्त न्यास प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष मूल्य बाजार मूल्य		

12. जमा बीमा के विवरण:

(क) जमा बीमा संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख

(ख) बीमाकर्ता का नाम

(ग) संदेय प्रीमियम

(घ) प्रीमियम का संदाय कब तक किया गया है:

(ङ) प्रत्येक जमाकर्ता के लिए अधिकतम सीमा

13. प्रभार के विवरण

(क) न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख

(ख) न्यासी का नाम

(ग) संपत्ति के संक्षिप्त विवरण जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभार लगाया गया है

(घ) संपत्ति का मूल्य